Mail

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक-37/(एक-दो-01)07 सागर, दिनांक 07.04.2025

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 33/(एक-दो-01)07 दिनांक 10.04.2024 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी आदेशों को अधिभावी रूप से अधिष्ठित करते हुये निम्न आंशिक संशोधन करता हूँ।

क्र	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (04)
1	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अति0 सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खुरई **श्री शोएब खान**	तहसील खुरई एवं मालथौन	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 01. समस्त **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई (वर्तमान व पूर्व पदस्थ)** के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण **व्यवहार प्रकरण** 02. समस्त **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई (वर्तमान व पूर्व पदस्थ)** के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के उत्पन्न नियमित एवं विविध अपील प्रकरण
2	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं तृतीय अति0 सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खुरई **श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव**	तहसील खुरई एवं मालथौन	<u>आपराधिक प्रकरण</u> 01. समस्त **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खुरई एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मालथौन (वर्तमान व पूर्व श्रृंखला न्यायालय में पदस्थ)** के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण ***<u>व्यवहार प्रकरण</u>*** 02. समस्त **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खुरई एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मालथौन (वर्तमान व पूर्व श्रृंखला न्यायालय में पदस्थ)** के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के उत्पन्न नियमित एवं विविध अपील प्रकरण
3	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खुरई **सुश्री प्रथा श्रीवास्तव**	तहसील मुख्यालय खुरई	***<u>व्यवहार प्रकरण</u>*** 01. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 02. तहसील खुरई से उत्पन्न ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन **5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रूपये से 25,00,000/- अंकन पच्चीस लाख रूपये** एवं **50,00,001/- अंकन पचास लाख एक रूपये से 1,00,00,000/- अंकन एक करोड़ रूपये** तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां। 03. तहसील खुरई में पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां
4	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मालथौन **श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार**	तहसील मुख्यालय मालथौन	***<u>व्यवहार प्रकरण</u>*** 01. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 02. तहसील मालथौन से संबंधित ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन **1/- एक रूपये से 1,00,00,000/-**

			अंकन एक करोड़ रूपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 03. तहसील मालथौन से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 04. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत रूपये 1/– अंकन एक रूपये से लेकर रूपये 5,00,000/– अंकन पांच लाख रूपये तक के प्रकरण 05. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/– अंकन एक रूपये से 5,00,000/– अंकन पांच लाख रूपये तक का हो 06. लघुवाद प्रकरण रूपये 200/– अंकन दो सौ रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण 07. पूर्व पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/वरिष्ठ खण्ड मालथौन एवं श्रृंखला न्यायालय मालथौन द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 08. तहसील न्यायालय मालथौन से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य हों व कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित न हों।
5	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा **श्री अम्बर श्रीवास्तव**	तहसील मुख्यालय गढ़ाकोटा	01. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 02. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन **1/– एक रूपये से 5,00,000/– अंकन पांच लाख रूपय** तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 03. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गढ़ाकोटा द्वारा निराकृत सिविल प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 04. म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत रूपये 1/– अंकन एक रूपये से लेकर रूपये 5,00,000/– अंकन पांच लाख रूपये तक के प्रकरण 05. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन 1/– अंकन एक रूपये से 5,00,000/– अंकन पांच लाख रूपये तक का हो 06. तहसील गढ़ाकोटा से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। 07. लघुवाद प्रकरण रूपये 200/– अंकन दो सौ रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण 08. तहसील गढ़ाकोटा से संबंधित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई योग्य ऐसे प्रकरण जो कार्यविभाजन पत्रक में उल्लिखित नहीं हैं।

नोटः–**01.** उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष कार्यविभाजन/प्रभार आदेश यथावत रहेगा।

02. उक्त आदेश संबंधित न्यायिक अधिकारीगण के कार्यग्रहण/कार्यमुक्त होने की दिनांक से लागू होगा।

07.04.2025

(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक 1943 (एक–दो–01)07 सागर दिनांकः 07.04.2025

प्रतिलिपिः–

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना सागर ।
2. पंजीयन लिपिक खुरई / गढ़ाकोटा / मालथौन।
3. प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर ।
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ खुरई / गढ़ाकोटा / मालथौन।

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)
07.04.2025